मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 198
25.11.2024 को उत्तर के लिए

जलवायु परिवर्तन

198. श्री दामोदर अग्रवालः
श्रीमती माला रायः
डॉ. कल्याण वैजीनाथराव कालेः

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

क. क्या सरकार संपूर्ण देश में जलवायु परिवर्तन के मुद्दे से अवगत है, यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;
ख. क्या यह सही है कि भूमंडलीय तापन और वनों की कटाई के कारण पृथ्वी का तापमान प्रति वर्ष एक डिग्री बढ़
रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
ग. सरकार द्वारा सदृश पर्यावरण को मानव के लिए उपयुक्त और खेती के लिए भी अच्छा बनाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
घ. क्या सरकार की योजना देश में पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों और अधिक सौर किरणों से बचाने के लिए और अधिक वृक्षारोपण की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
ङ. क्या सरकार ने राजस्थान राज्य में पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन के लिए किसी योजना पर काम करना शुरू कर दिया है, यदि हां, तो इसका जिलेवार ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं, और
च. संवेदनशील समुदायों को बढ़ते जलवायु परिवर्तन प्रभावों से बचाने के लिए जलवायु अनुकूलन की विशिष्ट योजनाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री:
(श्री कीर्ति वर्धन सिंह)

(क) और (ख): वर्ष 2023 में जारी होने वाली जलवायु परिवर्तन संबंधी अंतर-सरकारी पैनल (आईपीसीसी) की छठी आकलन चक्र संश्लेषण रिपोर्ट के अनुसार, मानवीय गतिविधियों, मुख्य रूप से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन के कारण, निःसन्देह वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है और वैश्विक औसत सतह तापमान 2011-

2020 के दशक में 1850-1900 के स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस ऊपर पहुंच गया है। वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में वृद्धि जारी है, जिसमें सभी का असमान ऐतिहासिक और सतत योगदान रहा है। जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) ने नोट किया है कि ग्रीनहाउस गैसों के ऐतिहासिक और वर्तमान वैश्विक उत्सर्जन का सबसे बड़ा हिस्सा विकसित देशों में पैदा हुआ है, विकासशील देशों में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन अभी भी अपेक्षाकृत कम है और विकासशील देशों में होने वाले वैश्विक उत्सर्जन का प्रतिशत बढ़ेगा, क्योंकि उन्हे भी अपने सामाजिक और विकासात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करनी होगी।

भारत सरकार जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों के प्रति जागरूक है और उनका समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्ष 2023 में जलवायु परिवर्तन संबंधी संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन (यूएनएफसीसीसी) को प्रस्तुत भारत के तीसरे राष्ट्रीय सम्प्रेषण में बताया गया है कि भारत जलवायु परिवर्तन के प्रभावों की सम्पूर्ण श्रृंखला को महसूस कर रहा है।

(ग): भारत सरकार ने पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और संरक्षण के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए उठाये गये कदम भी शामिल हैं। भारत ने वर्ष 2015 में निर्धारित अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) के दो प्राथमिक लक्ष्यों को पूरा कर लिया है और वर्ष 2022 में अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (एनडीसी) को अद्यतिन किया है और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन के माध्यम से संचयी बिजली स्थापित क्षमता के अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 50% कर दिया है और वर्ष 2005 के स्तर की तुलना में 2030 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 45% तक कम करना है। भारत सरकार ने अद्यतन एनडीसी में एक गैर-मात्रात्मक लक्ष्य भी शामिल किया है, अर्थात् 'लाइफ'- 'पर्यावरण अनुकूल जीवनशैली' जोकि लोगों के रोजमर्रा की कार्यकलापों को शामिल करके जलवायु परिवर्तन से निपटने की कुंजी इसके अतिरिक्त, भारत ने अपनी एक दीर्घ कालिक निम्न उत्सर्जन विकास रणनीति (एलटी-एलईडीएस) तैयार की है और उसे यूएनएफसीसीसी को सौंप भी दिया है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2070 तक शून्य-उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है।

भारत सरकार राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन पर कार्य योजना (एनएपीसीसी) का भी कार्यान्वयन कर रही है, जिसमें सौर ऊर्जा, ऊर्जा दक्षता जल, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, संधारणीय पर्यावास, हरित भारत, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्रों के मिशन शामिल हैं। संबंधित नोडल मंत्रालय इन मिशनों का कार्यान्वयन करते हैं। इन मिशनों में से एक, राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन (एनएमएसए) का उद्देश्य कृषि क्षेत्र को बदलती जलवायु के प्रति अधिक प्रत्यास्थ बनाना है। भारत सरकार जलवायु लचीला कृषि में राष्ट्रीय नवाचार (एनआईसीआरए) नामक एक नेटवर्क परियोजना का भी कार्यान्वयन कर रही है, जिसका उद्देश्य फसलों सहित कृषि पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का

अध्ययन का कार्यान्वयन करना और मौसम की चरम स्थितियों से निपटने के लिए जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना है।

(घ): पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देश में वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने वाले विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं का कार्यान्वयन कर रहा है। एनएपीसीसी के तहत मिशनों में से एक, हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन (जीआईएम) का उद्देश्य भारत के वन क्षेत्र की रक्षा करना, उसे बहाल करना और बढ़ाना है तथा संयुक्त वन प्रबंधन समितियों (जेएफएमसी) के माध्यम से वन और वनेतर क्षेत्रों में वृक्षारोपण कार्यकलापों को शुरू करके जलवायु परिवर्तन प्रति प्रतिक्रिया देना है, जिसमें स्थानीय समुदाय शामिल हैं। मंत्रालय नगर वन योजना (एनवीवाई) को भी लागू कर रहा है, जिसका प्राथमिक उद्देश्य शहरों/कस्बों के भीतर वन भूमि की सुरक्षा के उद्देश्य से नगर वन/वाटिका विकसित करके शहरी क्षेत्रों में वन/हरित स्थान बनाना है। स्कूल नर्सरी योजना का उद्देश्य छात्रों को ऐसा परिवेश देना है जिससे कि वे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को बहाल करने और उसे बनाए रखने में पौधों के महत्व को समझ सकें।

मंत्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस पर माननीय प्रधान मंत्री द्वारा शुरू किए गए अभियान "एक पेड़ मां के नाम" के तहत वृक्षारोपण के कार्यकलापों को शुरू करने का भी अनुरोध किया है। मंत्रालय ने निर्धारित समय-सीमा से पहले इस अभियान के तहत 80 करोड़ पौधे लगाने का अपना लक्ष्य पूरा कर लिया है।

(ड.) मंत्रालय ने पर्यावरण के संरक्षण, अनुरक्षण और सुरक्षा के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें अखिल भारतीय स्तर पर विशिष्ट योजनाओं का क्रियान्वयन भी शामिल है। मंत्रालय की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं के तहत समय-समय पर राजस्थान राज्य को प्रदान की गई केंद्रीय सहायता का विवरण इस प्रकार है:-

i. राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) में राजस्थान राज्य के पांच शहर नामत: अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर। इन शहरों को वायु प्रदूषण से निपटने के लिए शहरी कार्य योजना का कार्यान्वयन करने हेतु अब तक कुल 610.25 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई है।

ii. जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय अनुकूलन निधि के तहत बांसवाड़ा जिले के आनंदपुरी, अरथूना और सज्जनगढ़ ब्लॉक में जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और जल संचयन के लिए मुख्यमंत्री 'जल स्वावलंबन अभियान' नामक परियोजना के लिए 22.48 करोड़ का अनुदान स्वीकृत किया गया था और यह परियोजना पूरी भी हो चुकी है।

iii. देश में आर्द्रभूमियों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए जलीय पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण की राष्ट्रीय योजना (एनपीसीए) के अंतर्गत मंत्रालय ने पांच जिलों नामत: अजमेर, जयपुर, माउंट आबू,

नागौर और उदयपुर में सात आर्द्रभूमियों/झीलों के संरक्षण और प्रबंधन के लिए केंद्रीय योगदान के रूप में 146.165 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

iv. नगर वन योजना के तहत् मंत्रालय ने राजस्थान राज्य के 14 जिलों नामत: अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, चुरू, दौसा, हनुमानगढ़, जयपुर, झालावाड़, जोधपुर, कोटा, राजसमंद, श्रीगंगानगर और उदयपुर में 32.5748 करोड़ रुपये की लागत से तेईस परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

(च): भारत सरकार यह मानती है कि इसकी विकास प्रक्रिया के लिए अनुकूलन अपरिहार्य और अनिवार्य है और कई मंत्रालयों यथा जल शक्ति मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, आदि की विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से अनुकूलन प्रयासों को मुख्यधारा में लाने के लिए कई पहल कर रही है, ताकि लोगों की अनुकूलन क्षमताओं में सुधार हो और सामाजिक-आर्थिक दुर्बलताए दूर हो सकें। इसके अलावा, एनएपीसीसी के तहत नौ में से छह मिशन-जल, पर्यावास, कृषि, हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, मानव स्वास्थ्य और जलवायु परिवर्तन संबंधी कार्यनीतिक ज्ञान में अनुकूलन पर ध्यान केंद्रित करते हैं। चौंतीस राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने जलवायु परिवर्तन पर अपनी-अपनी राज्य कार्य योजनाएं (एसएपीसीसीएस) तैयार की हैं।